न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 850 सन 2021

अनवान :–

1. शाकर अली पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र मामदीन जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुश्ताक पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रजांक मोहम्मद पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मरूफा पुत्री अलीशेर पत्नी स्व नेक मोहम्मद जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
5. सुरफा पुत्री अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
6. सरीफा पुत्री अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 3/2 की कुल 26.6330हैक में से 1/6 हिस्सा एव रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 5/4 की कुल 5.5390हैक में से 1/6 हिस्सा रोही मोजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 87/3 की कुल 7.8430हैक में से 1/6 हिस्सा, रोही मौजा चक 21 केएनएन के खाता संख्या 122/5 की कुल 11.6380हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने के वाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 3/2 की कुल 26.6330हैक में से 1/6 हिस्सा एव रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 5/4 की कुल 5.5390हैक मे से 1/6 हिस्सा रोही मोजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 87/3 की कुल 7.8430हैक में से 1/6 हिस्सा, रोही मौजा चक 21 केएनएन के खाता संख्या 122/5 की कुल 11.6380हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 3/2 की कुल 26.6330हैक में से 1/6 हिस्सा एव रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 5/4 की कुल 5.5390हैक में से 1/6 हिस्सा रोही मोजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 87/3 की कुल 7.8430हैक में से 1/6 हिस्सा, रोही मौजा चक 21 केएनएन के खाता संख्या 122/5 की कुल 11.6380हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मामदीन पुत्र फजलदीन के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामदीन पुत्र फजलदीन के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा दादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 3/2 की कुल 26.6330हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.5060हैक एवं 3.9323 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब एव रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 5/4 की कुल 5.5390हैक में से 1/6 हिस्सा यानि 0.923166हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी रोही मोजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 87/3 की कुल 7.8430हैक में से 1/6 हिस्सा, रोही मौजा चक 21 केएनएन के खाता संख्या 122/5 की कुल 11.6380हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. शाकर अली पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अलीशेर पुत्र मामदीन जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मुश्ताक पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रजांक मोहम्मद पुत्र अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मरूफा पुत्री अलीशेर पत्नी स्व नेक मोहम्मद जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
5. सुरफा पुत्री अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
6. सरीफा पुत्री अलीशेर जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 850 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14/03/2022.

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की राहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा ढाणीलालखां के खाता संख्या 3/2 की कुल 26.6330हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.5060हैक एवं 3.9323 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव एव रोही गौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 5/4 की कुल 5.5390हैक में से 1/6 हिस्सा यानि 0.923166हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार रहेगें रोही गोजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 87/3 की कुल 7.8430हैक में से 1/6 हिस्सा, रोही गौजा चक 21 केएनएन के खाता संख्या 122/5 की कुल 11.6380हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner